बैठक संख्या.....

आज दिनांक .....को रांची नगर निगम के सभागार में वार्ड न.....के .....स्वयं सहायता समूह की बैठक निगम की सामूहिक संगठनकर्ता श्री/श्रीमती.....के दूवारा सिटी मिशन प्रबंधक श्री/श्रीमती .....की अध्याकता में की गयी|

इस बैठक में श्री/श्रीमती.....की दूवारा क्षेत्र स्तरीय संघ पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया| क्षेत्र स्तर संघ का गठन 10 से 20 स्वयं सहायता समूह पर किया जाता है | इसमे प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के कम से कम 2 नामांकित प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे |

क्षेत्र स्तर संघ का प्रमुख उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को सहायता प्रदान करना, समूहों की निगरानी, निर्देशन एवं वृहत समस्याओं यथा बैंक संपर्कों, ऋण वितरण, उच्च स्तरीय संरचनाओं एवं संस्थाओं के साथ समझोता हेतु स्वयं सहायता समूहों के अधिकारीयों एवम लाभों आदि के लिए वेहतर मोल-भाव शक्ति प्रदान करने हेतु इन क्षेत्र स्तर संघों के निर्माण की मूलभूत आवश्यकता है |

इसके उपरांत श्री/श्रीमती.....दूवारा संघ के कार्य एवम उत्तरदायित्व पर प्रकाश डाला गया | जो की निम्नलिखित है :-

क्षेत्र स्तरीय संघो के उत्तरदायित्व एवं कार्य:-

1. स्वयं सहायता समूहों को बैंक संपर्क उपलब्ध कराना |
2. स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रस्ताव तैयार करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करना |
3. स्वयं सहायता समूहों को समूहों सहित सदस्य, स्वयं सहायता समूहों को सुगम संचालन हेतु उनकी क्षमता व संवर्धन करना
4. स्वयं सहायता समूहों को NULM के लाभ उपलब्ध करने हेतु साथ-साथ विभिन सरकारी योजनाओं, सामाजिक लाभों की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना |
5. अवश्यक मुद्दों को नगर स्तरीय संघों के स्तर पर उठाना |
6. स्थानीय नगर निकायों को स्वयं सहायता समूहों की कार्यात्मक रिपोर्ट प्रदान करना |
7. अपने वार्ड एवम स्लम को मूलभूत सुविधा उपलब्ध हेतु तत्पर रहना |

उपरोक्त चर्चाओं में स्वंय सहायता समूह के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे |

क.स	सदस्य का नाम	समिति का नाम	समिति के पद
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

समिति में समूहों के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित है:-

समिति में समूहों के सदस्यों की संख्या	मोबाइल न.	पता	हस्ताक्षर

उपरोक्त उपस्तिथि .....स्वंय सहायता समूह के सदस्य में से .....स्वंय सहायता समूह के सदस्यों में मिलकर क्षेत्र स्तरीय के गठन पर सहमति दी और क्षेत्र स्तरीय संघ का निर्माण किया गया जिसका नाम .....से .....एरिया लेवल फेडरेशन रखा गया | इसके सदस्य निम्नलिखित है:-

क.स.	सदस्य का नाम	समिति का नाम	प्रस्तावक का नाम	समर्थक का नाम	पद
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

उपरोक्त समिति के गठन के उपरांत समिति को सुचालक रूप से चलाने के लिये समिति के सदस्य ने मिलकर नियमावली का निर्माण किया जो निम्नलिखित है :-

1. संघ का नाम .....होगा और यहाँ इसके आगे इसे संघ उल्लेखित किया गया है |
2. संघ का नाम वार्ड का नाम वार्ड के स्वयं सहायता समूह को सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा और इस संघ का पता निम्नलिखित होगा -

   .....

   .....

   पिन कोड
3. उद्देश्य:-संघ के उद्देश्य निम्न प्रकार से होंगे-

अ). सदस्य संघ सहायता समूहों के मध्य नियमित परस्पर अन्त क्रिया एवम सम्बन्ध हेतु मंच उपलब्ध कराना और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो तो नए स्वयं सहायता समूह के गठन में मद्दत करना |

ब). ऐसी क्रिया कलापों को प्रारम्भ करना जिनसे सदस्य स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ हों किन्तु जिन्हें वे स्वंय न कर सकते हों जैंसे की सदस्य स्वंय सहायता समूहों को बैंक संपर्क उपलब्ध कराना, सदस्य स्वयं सहायता समूहों के ऋण प्रस्ताबों के निर्माण में पूर्ण सहयोग करना |

स). सदस्य स्वंय सहायता समूहों को एन.यू.एल.ऍम सहित भारत सरकार एवम राज्य सरकारों दूवारा चलाईं जा रही योजनाओ के लाभ उपलब्ध कराना और ऐसी संस्थाओं के साथ लीकेज स्थापित करना जो की उनके कल्याण हेतु प्रासंगिक हो तथा बीमा सुविधा |

द). एन.यू.एल.ऍम के तहत कोशल प्रशिक्षण एवम् लघु उधम स्थापना हेतु सहायता और सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध सामाजिक सहयोग के लाभों तक सदस्य स्वयं सहायता समूहों की पहुँच बनाने हेतु उपयोगी सूचनाओ के प्रसारण अंग के रूप में कार्य करना |

य). नये सदस्य स्वंय सहायता समूहों को सुदृढ़ता एवम् क्षमता संवर्धन तथा वर्तमान सदस्य स्वंय सहायता समूहों के कार्यकलापों की नियमित निगरानी और क्षमता सुदृढ़ता ताकि क्रियाकलापों को सफलता पूर्वक जारी रखा जा सके |

र). नगर स्तरीय संघ में संघ एवम् उसके सदस्य स्वंय सहायता समूहों का सफल प्रतिनिधित्व करना |

ल). सदस्यों के नेतृत्व कोशल का निर्माण एवम् विकास ताकि वे सदस्य स्वंय सहायता समूहों एवम् उनके संघों का प्रवंधन कर सकें |

4. सदस्यता -

अ). उपर्युक्त वर्णित क्षेत्र के स्वंय समूह सदस्य हो सकेंगे जोकि-:

1). पिछले छः माह से अस्तित्व में हों |

2). नियमित रूप से सभाएं एवम् बचत कर रहे हों (80% से कम सदस्य न हो) |

3). नियमित रूप से किसी भी दिये गये ऋण की अदायगी कर रहे हों (80% से कम की अदायगी न हो) |

4). निर्धारित प्रवेश शुल्क और निश्चित वार्षिक अभिदान शुल्क (सदस्यता शुल्क) दे चुका हो|

ब). प्रतिएक स्वंय सहायता समूह एक वर्ष के लिए अपने सदस्यों में से दो लोगों को संघ की कार्यकारिणी समिति में समूह के प्रतिनिधित्व हेतु नामांकित करेंगे | इन सदस्यों में से एक स्वंय सहायता समूह का कार्यालय पदाधिकारी होना चाहिए और दूसरा स्वंय सहायता समूह का सामान्य सदस्य अथबा कार्यालय पदाधिकारी हो सकता है |

5. अंशदान-

अ) प्रवेश के समय प्रतिएक स्वंय सहायता समूह रुपये..... (अंको एवम् शब्दों) में प्रवेश शुल्क के रूप में अदा करेगा |

ब). प्रतिएक सदस्य स्वंय सहायता समूह रूपये ..... (अंकों एवम् शब्दों में) मासिक/वार्षिक अभिदान शुल्क (सदस्यता शुल्क) अदा करेगा |

स). यदि कोई सदस्य स्वंय सहायता समूह निर्धारित तिथि तक मासिक/वार्षिक अभिदान शुल्क जमा नहीं करेगा तो उसे रूपये .....(शब्दों एवम् अंकों में) माह/सप्ताह/दिन का अर्थदंड देना होगा |

6. समूह प्रबंधन-

अ). सामान्य सभा प्रतेक स्वंय सहायता समूह के दो प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगा |

ब). सामान्य सभा से पांच सदस्यों का चयन प्रवंधन समिति के लिए किया जायेगा जो की संघ की कार्यपधिती एवम् देनिक कार्यों के प्रवंधन हेतु उत्तरदायी होगी |

स). प्रवंधन समिति पांच सदस्यीय होगी जिसमे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, स्वाछिक आजीविका, सामाजिक सुरक्षा तथा वित्तीय समावेशन कार्यकर्ता कार्यालीय पदाधिकारी होंगे | इन्हें क्षेत्र स्तरीय संघ के सभी सदस्यों दूवारा संघ के सदस्यों में से ही एक वर्ष के लिये चुना जायेगा |

द). ये पदाधिकारी केवल दो कार्यालयों तक ही लगातार पद पर रह सकेंगे |

य). ये सभी पदाधिकारी भिन्न-भिन्न स्वयं सहायता समूहों से चुने जायेंगे |

र). **अध्यक्ष के कर्तव्य-**

- संघ की नियमित सभाओं तथा किसी भी प्रकार की अन्य सभाओं की अध्यक्षता करना |
- संघ की भिन्न सभाओं में लिए गए निर्णयों एवम् प्रस्तावों को हस्ताक्षरित कर (या अंगूठे के निशान दूवारा) अनुमोदित करना |
- किसी विशेष सभा का आहवान या स्थगन करना |
- यदि अवश्यक हो तो अन्य कार्यालय पदाधिकारी एवम् सदस्यों के सहयोग से किसी समस्या का समाधान करना |
- संघ के अंदरूनी व बहरी संबंधों को बनाये रखना, विशेष रूप से बैंकों तथा स्तानीय नगर निकायों के साथ ताकि संघ के सदस्यों हेतु ऋण की सुनिश्चित| बनी रहे और साथ ही उन्हें एन.यू.एल.एम् के भिन्न घटकों के तहत लाभ प्राप्त हो सके |
- संघ की प्रगति रिपोर्ट/व्याख्य नियमित तोर पर स्थानीय नगर निकायों को मांगे गए अन्य विवरणों के साथ देते रहना |

ल). सचिव के कर्तव्य-

- अध्यक्ष की पूर्वानुमति से सभाओं का आहवान करना तथा प्रतिएक सभा का एजेंडा तैयार करना |
- सभी नियमित एवम् विशेष सभाओ की कार्यवाही के उल्लेख तैयार करना और उन्हें अगली सभा में उन्हें पढना |
- प्रतेक सभा के प्रस्तावों का लिखित विवरण तैयार करना और उसी सभा में उन्हें पढकर सुनाना |
- सचिव दूवारा सदस्यता रजिस्टर, उपस्तिथि रजिस्टर तथा गतिविधियों एवम् प्रस्ताव रजिस्टर की देख-भाल की जायेगी |
- यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो समस्त सभाओं का संचालन एवम् अध्यक्ष करेगा |

- संघ के लेखा-बहियों की नियमित जांच करेगा तथा प्रतेक सभा में सदस्यों को इससे अवगत करायेगा |
- संघ के आंतरिक एवम् बाह्य संबंधों को बनाये रखेगा विशेषकर बैंकों तथा स्थानीय नगर निकायों से ताकि संघ एवम् उसके सदस्यों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और साथ-साथ उन्हें एन.यू.एल.एम् के तहत प्राप्त होने वाले लाभ सुलभ हो सकें |
- संघ की प्रगति नियमित रूप से स्थानीय नगर निकायों को उनके दूवारा मांगे गये अन्य विवरणों सहित प्रस्तुत करना |

ब). कोषाध्यक्ष के कर्तव्य -

- संघ से सम्बंधित समस्त अवश्यक एवम् वित्तीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखना |
- संघ के समस्त लेखा-वाहियों की देख-रेख यथा सदस्यों का बचत एवम् ऋण रजिस्टर, पास-बुक, संघ की बैंक पास बुक तथा ऋण वो विवरण, नगद लेन-देन आदि |
- सभाओं में एकत्रित समस्त नगद धनराशी को दो दिनों के भीतर बैंक में जमा कराना |
- संघ दूवारा अनुमोदित ऋण को सदस्यों में बांटना, बचतों, अदायगियों, व्याज़ दण्ड-शुल्क आदि को प्राप्त करना/ वसूलना |
- संघ की समस्त वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना |
- संघ की समस्त लेखों की देख-रेख करना तथा कैश बुक, ऋण-वही, आयगी तथा देनगी की रसीदें आदि |

ह). स्वैछिक आजीविका कार्यकर्त्ता के कर्तव्य-

- रोजगार क्षेत्र की पहचान करना जिससे स्वंय सहायता समूह के सदस्यों की आय बढ़ सके |
- शहरी गरीब आजीविका मिशन के तहत नए उध्मो को स्थापना में सहयोग हेतु सदस्यों को ऋण एवम् सलाहकारी सेवाओं के माध्यम उपलब्ध कराना |
- शहरी गरीब आजीविका मिशन के तहत कोशल प्रशिक्षण के अवसरों हेतु संपर्क सूत्र उपलब्ध कराना |

स). स्वैछिक सामाजिक कार्यकर्त्ता-

- सदस्य स्वंय सहायता समूहों की सामाजिक सुरक्षा सम्बंधित ज़रूरतों का मूल्यंकण करना |

- वार्ड के स्वास्थ्य, शिक्षा एवम् अन्य सामाजिक अधिकारिओं से संपर्क करना ताकि शहर में उपलब्ध लाभों/सुविधाओं से सदस्य स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जा सके |
- शहर की समस्त योजनाओं की एक एसी अधतन सूची तैयार करना जिसके लाभ/सुविधाएँ सदस्य स्वंय सहायता समूह उठा सके और इस जानकारी का प्रसार क्षेत्र स्तरीय संघों के माध्यम से करना |

श). स्वैछिक वित्तीय समावेशन कार्यकर्त्ता के दायित्व-

- यह सुनिश्चित करना की सदस्य स्वयं सहायता समूह बैंक से सम्बन्ध हो गये है |
- यह सुनिश्चित करना की सदस्य स्वयं सहायता समूह बीमे और धन विश्लेषण हेतु वित्तीय संस्थाओं से साम्ब्रिध हो गए हो |
- यह सुनिश्चित करना की सदस्य स्वयं सहायता समूह के प्रतेक व्यक्ति के पास सामान्य बचत खाता उपलब्ध हो गया हो |
- यह सुनिश्चित करना की प्रतेक सदस्य स्वयं सहायता समूह वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्त कर सके |

7). सभाएं-

अ) संघ प्रतेक माह .....(संख्या) सभाएं करेगा | सभाएं प्रतेक माह की तिथियों .....को आयोजित होंगी |

आ) किसी अवश्यक और वित्तीय मामले हेतु संघ अल्प कालिक सूचना पर विशेष सभा का आयोजन कर सकेंगे |

इ) सभा के निर्णयों की वैधता हेतु सभा में 80 प्रतिशत सदस्यों सहित कम से कम दो कार्यालयों पदाधिकारी अवश्य उपस्थित होने चाहिए | जहाँ निर्णय कोष संघ के रु.....(अंकों एवम् शब्दों में) से अधिक राशी के सम्बन्ध में हो या नियम और कानून में परिवर्तन से सम्बंधित हो वहां समस्त सदस्यों की उपस्थित अनिवार्य होगी |

ई) संघ की सामान्य सभा प्रतिवर्ष .....माह में दिनांक .....को आयोजित की जाएगी | इस सभा में पिछले साल की गतिविधियों तथा वित्तीय प्रगति का पुनरवलोकन किया जायेगा और अगले साल के क्रियाकलापों की योजना तैयार की जाएगी | (संघ इस सभा का उपयोग प्रवंधन समिति के पदाधिकारियों के नियमित चुनाव हेतु भी कर सकते है |)

उ) विशेष सभाओं हेतु अथवा नियमित सभाओं के संचालन में किसी प्रकार के परिवर्तन के सम्बन्ध में सचिव दूवारा संघ के सदस्यों को एसी किसी भी सभा के पूर्व .....दिन का नोटिस देना होगा |

ऊ) यदि कोई सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के .....(संख्या) सभाओं में लगातार अनुपस्थित रहता है तो वह रु...../- सभा (अंको एवम् शब्दों में) के दंड/का भागी होगा |

8) समूह के दस्तावेजों का अनुरक्षण-

अ). सदस्यता, उपस्तिथि और क्रियाकलापों तथा प्रस्ताव रजिस्टर सचिव दूवारा रखे जायेंगे ताकि वो सदस्यता पंजीकरण कर सके और समस्त सभाओं की कार्यवाहियों, उपस्तिथि एवम् प्रस्तावों के अभिलेख तैयार कर सके |

ब). कैश बुक तथा बैंक ऋण रजिस्टर की देख रेख कोषाध्यक दूवारा की जाएगी जो समस्त आय व्यय के साथ-साथ बैंक ऋण की प्राप्तियों एवम् अदायिगियों को अधतन करेगा |

स). संघ की बैंक पासबुक की देख-रेख कोषाध्यक्ष दूवारा की जाएगी और प्रतेक जमा एवम् निकासी को नियमित रूप से अधतन किया जाता रहेगा |

द). संघ के समस्त दस्तावेज़ सभी सदस्यों के अवलोकन हेतु सभाओं के दोरान उपलब्ध रहेंगे, अन्य समयों में प्रवन्धक समिति के पदाधिकारियों को समुचित सूचना देकर इनका अवलोकन किया जा सकेगा |

9) समूह के कोष का प्रवंधन-

अ). ऋण के सम्बन्ध में संघ की नियत का लीक सभाओं में विचार किया जायेगा कि जिसके लिए सदस्य स्वंय सहायता समूह संघ की प्रवंधन समिति के अध्यक्ष को लिखित आवेदन पत्र देना होगा | जब तक सदस्य स्वंय सहायता समूह के प्रतिनिधि ऋण हेतु आवेदन किया जायेगा तो इसके प्रतिनिधि सदस्य इस संवंध में होने वाले विचार विमश में तो भाग लें सकेंगे | किन्तु ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के दोरान मत नहीं दे सकेंगे |

ब). प्रतेक सदस्य स्वंय सहायता समूह की ऋण सीमा को निर्धारित उसके संघ की वित्तीय स्तिथि को ध्यान में रखते हुए एवम् उसके सदस्य स्वंय सहायता समूहों की ऋण अवश्यकताओं की पूर्ती करने वाली भारी दायित्व को ध्यान में रखते हुये पूर्ण कार्यकारिणी समिति दूवारा किया जायेगा |

स). ऋण अदायगी प्रकिया का निर्धारण समूह के समस्त सदस्यों दूवारा मिलकर किया जायेगा |

द). ऋण स्वीकृति के पश्चात ऋण/लोंन विवरण सर्वसहमत ऋण अदायगी सारणी का विवरण आवेदक की बचत एवम् ऋण पासबुक और समूह के बचत एवम् ऋण रजिस्टर में आवश्यक लिखी जाएगी | इसके पश्चात अदाएगी सम्बंधित समस्त विवरण भी (और व्यक्तिक्रम यादि कोई है, तो) आवेदक की बचत एवम् ऋण पासबुक में तथा समूह के बचत एवम् ऋण रजिस्टर में किये जायेंगे |

य). ऋण तभी प्रदान किया जायेगा जब कि:-

1). सदस्य स्वंय सहायता समूह में संघ की सभी वकाया फीसों/शुल्क चुका लिया हो और पूर्व ऋण की पूर्व भुगतान मय व्याज़ दिया हो |
2). प्रस्तावित ऋण का उद्देश्य व्यवहार/ अर्थम् हो |
3). सदस्य स्वंय सहायता समूह नियमित रूप से सभाओं एवम् बचत कर रहा हो | उवविधान का पालन कर रहा हो और संघ की गतिविधियों में सक्रीय भागीदारी कर रहा हो |

र). संघ की बचत एवम् ऋण के व्याज से प्राप्त धन और अर्थदंड/शासित तथा फीस/शुल्क के रूप में प्राप्त समस्त आय पुनः संघ के कोष में निवेशित की जाएगी |

10) समूह के बैंक खातों का प्रवंधन:- संघ का बैंक खाता निकटतम शाखा में खोला जायेगा | कोषाध्यक, अध्यक्ष, सचिव (कोई भी दो) मिलकर खाते का संचालना करेंगे | समस्त निकासियों को संघ के प्रस्ताव दूवारा अनुमोदित/समर्थिन होना होगा |

11) सदस्यता का प्रत्याहार:- कार्यकारिणी समिति विस्तृति विचार विमर्श के बाद यह तय करना चाहिए कि यादि कोई सदस्य स्वयं सहायता समूह संघ छोड़ना चाहता है तो धन बापसी की प्रक्रिया व् शर्त क्या हो? इसका संघ के उपविधान में अवश्य उल्लेख होना चाहिये |

12) सदस्यता हेतु अयोग्यता:-

अ). संघ की नियमित सभाओं में .....से ज्यादा बार अनुपस्तिथि/असक्रियता |

ब). अभिदान शुल्क (सदस्यता शुल्क/फीस) जमा न करना |

स). संघ से प्राप्त ऋण का नियमित भुगतान न करना |

द). संघ के नियमो का पालन न करना |

13) उपविधान में परिवर्तन:- संघ के नियमो अथवा उसके किसी भी भाग में परिवर्तन, इस उद्देश्य से बुलाई गई सामान्य सभा में उपस्थिति समस्त सदस्यों की अनुमति से किया जायेगा |

14) संघ का विघटन:- समूह के विघटन के पूर्व समूह के समस्त सदस्य, मिलकर, समूह- कोष के सदस्यों के मध्य वितरण, अदायिगियों आदि के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर सम्बंधित

ओपचारिकताओं एवम् शर्तों को तय करेंगे | तत्पश्चात समूह के विघटन एवम् कोष के पुनर्वितरण से सम्बंधित समस्त प्रतिवंधों/शर्तों को समूह के उपविधान में उल्लेखित किया जाना चाहिए | सदस्यों के बहुमत से समूह का विघटन किया जा सकेगा |

आज की कुल बचत -.....

स.न.	**उपस्थित सदस्यों के नाम**	**सदस्यों के हस्ताक्षर**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		